



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 वैशाख 1948 (श0)
(सं0 पटना 523) पटना, वृहस्पतिवार, 21 मई 2026

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना
20 मई 2026

सं० सं०का०१/वि०मं० (सत्र)—०१—०१/२०२६—५३३—बिहार राज्यपाल का दिनांक—18.05.2026 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ले ज सय्यद अता हसनैन, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2026 को सदन की बैठक की समाप्ति के पश्चात् बिहार विधान परिषद् का सत्रावसान करता हूँ।

पटना,
दिनांक—18.05.2026

ले ज सैयद अता हसनैन
राज्यपाल, बिहार।”

राजेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

20 मई 2026

सं० सं०का०१/वि०मं० (सत्र)—०१—०१/२०२६—५३४, अधिसूचना संख्या—५३३ दिनांक—20.05.2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

The 20th May 2026

No: -P.A.1/V.M.(Session))-01-01/2026-533—The following order of the Governor of Bihar dated **18.05.2026** is hereby published for general information: -

“In exercise of the powers under Sub Clause (a) of Clause (2) of Article 174 of the Constitution of India, I, Lt Gen Syed Ata Hasnain , Governor of Bihar, hereby prorogue the Bihar Legislative Council after completion of the business of the House on 27th February, 2026.

Patna,
Dated-18.05.2026

Lt Gen Syed Ata Hasnain
Governor of Bihar.”

Rajesh Kumar,
Additional Secy. to Govt.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 523-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>